



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2017/भाद्र 15, 1939

No. 753]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2017/BHADRA 15, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1131(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये 1 अक्टूबर 2018 से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय तार नियम, 1951 में, भाग X और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:.

भाग XI

तार का परीक्षण और प्रमाणन

528. परिभाषाएं :-

तार का परीक्षण और प्रमाणना, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

“मूल उपस्कर विनिर्माता” से तार का ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जिसके ब्रांड के अधीन तार बेचा जाता है या बेचे जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

529. अनिवार्य परीक्षण - कोई भी तार जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त, अनुज्ञती के अधीन स्थापित किए गए, अनुरक्षित किए गए या कार्यचालित किए गए या किसी भी तार के साथ प्रयोग किया जाता हो या प्रयोग किए जाने के योग्य हो, उसे तार प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित पैरामीटरों के अनुसार पूर्व अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा।

परंतु भारत में अनुसंधान और विकास या प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए या अनिवार्य परीक्षण के लिए नमूने के रूप में या भारत में ऐसी आवक विदेशी यात्रा पर व्यक्तिगत रूप से साथ लाया गया जो भारत में व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, तार यंत्र को जिसका उक्त अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आयात या उपयोग प्रतिषिद्ध नहीं है, समय समय पर तार प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किसी आदेश द्वारा अनिवार्य परीक्षा की अपेक्षा से छूट दी जा सकेगी।

परंतु यह और कि तार प्राधिकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन तार यंत्रों को छोड़कर जो परंतुक में विनिर्दिष्ट हैं, तार के कतिपय प्रवर्ग या प्रवर्गों को ऐसी अनिवार्य परीक्षा से निश्चित श्रेणी या श्रेणियों की छूट दे सकेगा।

530. प्रमाणन हेतु प्राधिकारी :-

(1) परीक्षण तार प्राधिकारी या तार प्राधिकारी द्वारा अभिहित किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(2) तार प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना के अनुसार, परीक्षण के लिए तार को पेश करने वाले व्यक्ति को निर्धारित शुल्क जो 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा देना होगा तथा परीक्षण और प्रमाणन के लिए अधिनियत पैरामीटरों के अनुपालन के पश्चात्, तार प्राधिकारी द्वारा विदित प्रक्रिया के अनुसार तार के लिए परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(3) परीक्षण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता प्रमाण-पत्र पर विनिर्दिष्ट होगी और विदित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के पश्चात् विदित फीस का संदाय करके प्रमाण-पत्र का नवीकरण करवाया जा सकता है।

531. अनिवार्य परीक्षण हेतु उत्तरदायित्व:- भारत में मूल उपस्कर विनिर्माता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह भारत में उपस्कर की बिक्री से पहले इसका अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन करवाये तथा तार प्राधिकारी द्वारा यथा विदित व्यौरे जैसे विनिर्देशन, चेतावनी और प्रमाण-पत्र संख्या और इसकी वैधता तार के बाहरी भाग पर मुद्रित करे।

532. आयातकर्ता की परीक्षण हेतु आयातक का उत्तरदायित्व:- किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विक्रय करने के लिए तार आयात करने वाले व्यक्ति अथवा उस विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसका विक्रय प्रारम्भ करने से पहले तार प्राधिकारी या उसका अभिहित निकाय से इसकी जाँच और प्रमाणन करवा लें।

533. विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता का उत्तरदायित्व:- जांच प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होने के पश्चात् विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता भारत में विक्रय के लिये तार की कोई मात्रा नहीं भेजेगा।

534. पुनः प्रमाणीकरण:- तार के एक बार प्रमाणित हो जाने पर भारतीय या विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता के विक्रेता या वितरक या अभिकरण से अतिरिक्त प्रमाणन प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा परंतु ऐसे तार का मॉडल या ब्राण्ड किसी प्रकार से उस तार के मॉडल या ब्रांड से भिन्न नहीं होगा जिसे प्रमाणित किया गया है और उसकी बाँड़ी पर तार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रमाणन संबंधी विवरण दिया जाएगा।

535. अप्रमाणित तार के विक्रय का वर्जन- कोई व्यक्ति किसी ऐसे तार का, जब तक उसे ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है, विक्रय नहीं करेगा जिसके संबंध में नियम 530 में निर्दिष्ट तार प्राधिकारी या किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य अधिप्रमाणन अपेक्षित है।

536. अप्रमाणित तार को हटाया जाना :- (1) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे उपअधिनियम के अधीन तार को संस्थापित करने, इसका रखरखाव करने अथवा इस पर कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति दी गई हो, यह पता चलने पर कि प्रयोगकर्ता द्वारा अप्रमाणित तार का उपयोग किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे तार को हटा दिया जाए अथवा यदि वह ऐसे तार को हटाने में असफल रहता है तो यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रमाणित तार के प्रयोग का पता चलने के सात दिनों के भीतर सेवा अथवा कनेक्टिविटी को वापस ले लिया जाये तथा ऐसे सभी मामले तार प्राधिकारी की जानकारी में प्रत्येक सप्ताह लाये जाएं।

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके नेटवर्क में ऐसे किसी तार का उपयोग, जब तक उसे प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है, नहीं किया जाएगा जिसके लिए अनिवार्य प्रमाणन अपेक्षित है।

537. (1) उल्लंघन और सूचनाएँ:- यदि कोई व्यक्ति किसी तार के संबंध में इस भाग के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो तार प्राधिकारी:-

(i) ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी कर सकेगा जो अधिनियम की धारा 4 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति या अनुमति की शर्तों से संबन्धित विधि के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(ii) अनुज्ञप्ति या अनुमति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा, यदि इस प्रकार अनुज्ञप्ति या अनुमति प्राप्त व्यक्ति द्वारा अप्रमाणित तार का उपयोग किया जाता है या ऐसा व्यक्ति उसके नेटवर्क या सेवा के उपभोक्ताओं से अप्रमाणित तार हटाने में असफल रहता है।

(iii) ऐसे तार को अभिरक्षा में ले सकेगा और तार को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा चाहे वह आयातित हो या भारतीय मूल का स्वदेशी वस्तु की दशा में, यदि ऐसा व्यक्ति अर्थार्थ आयतकरता या मूल उपस्कर विनिर्माता उलंघन की सूचना जारी होने की तारीख से 180 दिन के भीतर अनिवार्य प्रमाणन करवाने में असमर्थ रहता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को, विहित फीस के 10 गुना का संदाय करके ऐसे तार के लिए तार प्राधिकारी को प्रमाणीकरण के लिए अनुज्ञप्ति किया जा सकेगा और तार प्राधिकारी यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात प्रमाण पत्र जारी करेगा।

[फा. सं. 3-1/2011-पीएचपी (पार्टी)]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

नोट: मूल नियम पोस्ट और तार नियम अंक/खंड I, विधायी अधिनियमिति, भाग-II संस्करण द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए

- | | |
|--|---|
| 1. सा. का. नि. 190, तारीख 18.02.1984 | 24. सा. का. नि. 626 (अ), तारीख 17.05.1988 |
| 2. सा. का. नि., 386 तारीख 22.05.1984 | 25. सा. का. नि. 660 (अ), तारीख 31.05.1988 |
| 3. सा. का. नि. 387 (अ), तारीख 22.05.1984 | 26. सा. का. नि. 693 (अ), तारीख 10.06.1988 |
| 4. सा. का. नि. 679, तारीख 30.06.1984 | 27. सा. का. नि. 734 (अ), तारीख 24.06.1988 |
| 5. सा. का. नि. 428, तारीख 27.04.1985 | 28. सा. का. नि. 606, तारीख 14.07.1988 |
| 6. सा. का. नि. 729, तारीख 03.08.1985 | 29. सा. का. नि. 812 (अ), तारीख 26.07.1988 |
| 7. सा. का. नि. 982, तारीख 19.10.1986 | 30. सा. का. नि. 888 (अ), तारीख 01.09.1988 |
| 8. सा. का. नि. 553 (अ), तारीख 27.03.1986 | 31. सा. का. नि. 907 (अ), तारीख 07.09.1988 |
| 9. सा. का. नि. 314, तारीख 26.04.1986 | 32. सा. का. नि. 916 (अ), तारीख 09.09.1988 |
| 10. सा. का. नि. 566, तारीख 26.07.1986 | 33. सा. का. नि. 1054, तारीख 02.11.1988 |
| 11. सा. का. नि. 953 (अ), तारीख 23.07.1986 | 34. सा. का. नि. 179, तारीख 18.03.1989 |
| 12. सा. का. नि. 1121 (अ), तारीख 01.10.1986 | 35. सा. का. नि. 358 (अ), तारीख 15.03.1989 |
| 13. सा. का. नि. 1167 (अ), तारीख 28.10.1986 | 36. सा. का. नि. 622 (अ), तारीख 15.06.1989 |
| 14. सा. का. नि. 1237 (अ), तारीख 28.11.1986 | 37. सा. का. नि. 865, तारीख 29.09.1989 |
| 15. सा. का. नि. 49, तारीख 17.01.1987 | 38. सा. का. नि. 413 (अ), तारीख 29.03.1990 |
| 16. सा. का. नि. 112 (अ), तारीख 25.02.1987 | 39. सा. का. नि. 574 (अ), तारीख 15.06.1990 |
| 17. सा. का. नि. 377 (अ), तारीख 09.04.1987 | 40. सा. का. नि. 933 (अ), तारीख 03.12.1990 |
| 18. सा. का. नि. 674 (अ), तारीख 27.07.1987 | 41. सा. का. नि. 985 (अ), तारीख 20.12.1990 |
| 19. सा. का. नि. 719 (अ), तारीख 18.08.1987 | 42. सा. का. नि. 74 (अ), तारीख 18.01.1991 |
| 20. सा. का. नि. 837 (अ), तारीख 05.10.1987 | 43. सा. का. नि. 237 (अ), तारीख 25.04.1991 |
| 21. सा. का. नि. 989 (अ), तारीख 17.12.1987 | 44. सा. का. नि. 251 (अ), तारीख 02.05.1991 |
| 22. सा. का. नि. 337 (अ), तारीख 11.03.1988 | 45. सा. का. नि. 543 (अ), तारीख 21.05.1992 |
| 23. सा. का. नि. 361 (अ), तारीख 21.03.1988 | 46. सा. का. नि. 560 (अ), तारीख 26.05.1992 |

- | | |
|---|---|
| 47. सा. का. नि. 587 (अ), तारीख 10.06.1992 | 61. सा. का. नि. 412 (अ), तारीख 29.05.2012 |
| 48. सा. का. नि. 730 (अ), तारीख 19.08.1992 | 62. सा. का. नि. 368 (अ), तारीख 07.06.2013 |
| 49. सा. का. नि. 830 (अ), तारीख 28.10.1992 | 63. सा. का. नि. 506 (अ), तारीख 24.07.2013 |
| 50. सा. का. नि. 62 (अ), तारीख 11.02.1993 | 64. सा. का. नि. 18, तारीख 28.01.2014 |
| 51. सा. का. नि. 80, तारीख 06.02.1993 | 65. सा. का. नि. 912 (अ), तारीख 23.12.2014 |
| 52. सा. का. नि. 384 (अ), तारीख 27.04.1993 | 66. सा. का. नि. 653 (अ), तारीख 25.08.2015 |
| 53. सा. का. नि. 387 (अ), तारीख 28.04.1993 | 67. सा. का. नि. 241, तारीख 10.12.2015 |
| 54. सा. का. नि. 220 (अ), तारीख 26.03.2004 | 68. सा. का. नि. 297(अ), तारीख 28.03.2017 |
| 55. सा. का. नि. 713 (अ), तारीख 17.11.2006 | 69. सा. का. नि. 314 (अ), तारीख 31.03.2017 |
| 56. सा. का. नि. 193 (अ), तारीख 01.03.2007 | 70. सा. का. नि. 406 (अ), तारीख 20.04.2017 |
| 57. सा. का. नि. 547 (अ), तारीख 18.07.2008 | 71. सा. का. नि. 439 (अ), तारीख 02.05.2017 |
| 58. सा. का. नि. 49 (अ), तारीख 27.01.2010 | 72. सा. का. नि. 482 (अ), तारीख 17.05.2017 |
| 59. सा. का. नि. 279 (अ), तारीख 31.03.2010 | 73. सा. का. नि. 507(अ), तारीख 22.05.2017 |
| 60. सा. का. नि. 256 (अ), तारीख 27.03.2012 | 74. सा. का. नि. 540(अ), तारीख 31.05.2017 |

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

G.S.R. 1131(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on 1st October, 2018.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, after PART X and the entities relating there to, the following shall be inserted, namely :—

PART XI

TESTING AND CERTIFICATION OF TELEGRAPH

528. Definitions :—

Testing and certification of telegraph - in this part, unless the context otherwise requires,—

“Original Equipment Manufacturer” means a manufacturer of telegraph under whose brand the telegraph is sold or proposed to be sold.

529. Mandatory Testing- Any telegraph which is used or capable of being used with any telegraph established, maintained or worked under the licence granted by the Central Government in accordance with the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (hereinafter referred to as the said Act), shall have to undergo prior mandatory testing and certification in respect of parameters as determined by the telegraph authority from time to time:

Provided that the telegraph imported for the purpose of research and development or demonstration in India or as sample for mandatory testing or personally accompanied on inward foreign travel to India which is for personal use in India and not prohibited to be imported or used under the said Act or any other law for the

time being in force, may be exempted by an order issued in this regard by the telegraph authority from time to time, from the requirement of mandatory testing:

Provided further that the telegraph authority may by notification in the Official Gazette exempt certain category or categories of telegraph except those specified in the proviso from such mandatory testing.

530. Authority for testing- (1) The testing shall be carried out by the telegraph authority or any other agency designated by the telegraph authority.

(2) The fee charged for testing carried out by the telegraph authority from the person who offers the telegraph for testing shall not exceed rupees fifty lakhs as specified by notification and the telegraph authority after compliance of the parameters set forth both for testing and certification shall issue a test certificate for the telegraph, as per the procedures prescribed by the telegraph authority.

(3) The validity of the test certificate shall be as specified in the certificate and the certificate may be renewed on payment of prescribed fee, after following the prescribed procedures.

531. Responsibility for mandatory testing :- It shall be the responsibility of the Original Equipment Manufacturer in India for getting the mandatory testing and certification done before sale of equipment in India and to print the details of telegraph as prescribed by the telegraph authority such as specification, warning and certificate number and its validity on the outside body of the telegraph.

532. Responsibility of importer for testing :- It shall be the responsibility of the person importing telegraph for sale in India or the foreign Original Equipment Manufacturer to offer the telegraph for testing and certification by the telegraph authority or its designated body before sale.

533. Responsibility of foreign original equipment manufacturer :- The foreign Original Equipment Manufacturer shall not dispatch any quantity of the telegraph for sale in India after expiry of the validity of the test certificate.

534. Recertification :- When a telegraph has been certified, the dealer or distributor or agency of the Indian or foreign Original Equipment Manufacturer shall not be required to get the telegraph certified again provided that the model or brand of such telegraph is not different in any manner from the one which has been certified and shall carry details of certification on the body of the telegraph as prescribed by the telegraph authority.

535. Bar on sale of uncertified telegraph:- No person shall sell any telegraph in respect of which mandatory certification is required by the telegraph authority or any designated agency, referred to in rule 530, unless it is certified by such authority or agency.

536. Removal of uncertified telegraph:- (1) Any person licensed or permitted to establish, maintain or work a telegraph under the said Act shall, on detection of use of uncertified telegraph by a user, ensure its removal by the user or, in case of his failure in such removal, withdrawal of service or connectivity to network within seven days of its detection and all such cases shall be brought to the notice of the telegraph authority in each week.

(2) No telegraph in respect of which mandatory certification is required, shall be used by the licensee in its network unless it is certified.

537.(1) Contravention and notices:- If any person contravenes the provisions of this Part, in respect of any telegraph, the telegraph authority may,

(i) issue notice to the person who contravenes the provisions of law pertaining to conditions of license or permission granted under section 4 of the Act,

(ii) take action in accordance with the terms and conditions of the licence or permission, if uncertified telegraph is used by the person so licensed or permitted, or if such person fails to get uncertified telegraph removed from the users of his network or service;

(iii) take custody of such telegraph and order to destroy the telegraph whether imported or of Indian origin, if the person i.e. the importer or the Original Equipment Manufacturer in case of indigenous item is unable to get the mandatory certification done within one hundred and eighty days from the date of issue of notice of violation;

(2) The person referred to in sub-rule(1) may be permitted to apply for Certification to the telegraph authority for such telegraph on payment of ten times of prescribed fee and the telegraph authority after observing the procedures as specified may issue the Certificate.

[F. No. 3-1/2011-PHP(Pt.)]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (Admin)

Note: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I. Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended *vide* notification numbers—

- | | |
|--|---|
| 1. G.S.R. 190, dated the 18 th February, 1984; | 32. G.S.R. 916(E), dated the 9 th September, 1988; |
| 2. G.S.R. 386, dated the 22 nd May, 1984; | 33. G.S.R. 1054, dated the 2 nd November, 1988; |
| 3. G.S.R. 387(E), dated the 22 nd May, 1984; | 34. G.S.R. 179, dated the 18 th March, 1989; |
| 4. G.S.R. 679, dated the 30 th June, 1984; | 35. G.S.R. 358(E), dated the 15 th March, 1989; |
| 5. G.S.R. 428, dated the 27 th April, 1985; | 36. G.S.R. 622(E), dated the 15 th June, 1989; |
| 6. G.S.R. 729, dated the 3 rd August, 1985; | 37. G.S.R. 865, dated the 29 th September, 1989; |
| 7. G.S.R. 982, dated the 19 th October, 1986; | 38. G.S.R. 413(E), dated the 29 th March, 1990; |
| 8. G.S.R. 553(E), dated the 27 th March, 1986; | 39. G.S.R. 574(E), dated the 15 th June, 1990; |
| 9. G.S.R. 314, dated the 26 th April, 1986; | 40. G.S.R. 933(E), dated the 3 rd December, 1990; |
| 10. G.S.R. 566, dated the 26 th July, 1986; | 41. G.S.R. 985(E), dated the 20 th December, 1990; |
| 11. G.S.R. 953(E), dated the 23 rd July, 1986; | 42. G.S.R. 74(E), dated the 18 th January, 1991; |
| 12. G.S.R. 1121(E), dated the 1 st October, 1986; | 43. G.S.R. 237(E), dated the 25 th April, 1991; |
| 13. G.S.R. 1167(E), dated the 28 th October, 1986; | 44. G.S.R. 251(E), dated the 2 nd May, 1991; |
| 14. G.S.R. 1237(E), dated the 28 th November, 1986; | 45. G.S.R. 543(E), dated the 21 st May, 1992; |
| 15. G.S.R. 49, dated the 17 th January, 1987; | 46. G.S.R. 560(E), dated the 26 th May, 1992; |
| 16. G.S.R. 112(E), dated the 25 th February, 1987; | 47. G.S.R. 587(E), dated the 10 th June, 1992; |
| 17. G.S.R. 377(E), dated the 9 th April, 1987; | 48. G.S.R. 730(E), dated the 19 th August, 1992; |
| 18. G.S.R. 674(E), dated the 27 th July, 1987; | 49. G.S.R. 830(E), dated the 28 th October, 1992; |
| 19. G.S.R. 719(E), dated the 18 th August, 1987; | 50. G.S.R. 62(E), dated the 11 th February, 1993; |
| 20. G.S.R. 837(E), dated the 5 th October, 1987; | 51. G.S.R. 80, dated the 6 th February, 1993; |
| 21. G.S.R. 989(E), dated the 17 th December, 1987; | 52. G.S.R. 384(E), dated the 27 th April, 1993; |
| 22. G.S.R. 337(E), dated the 11 th March, 1988; | 53. G.S.R. 387(E), dated the 28 th April, 1993; |
| 23. G.S.R. 361(E), dated the 21 st March, 1988; | 54. G.S.R. 220(E), dated the 26 th March, 2004; |
| 24. G.S.R. 626(E), dated the 17 th May, 1988; | 55. G.S.R. 713(E), dated the 17 th November, 2006; |
| 25. G.S.R. 660(E), dated the 31 st May, 1988; | 56. G.S.R. 193(E), dated the 01 st March, 2007; |
| 26. G.S.R. 693(E), dated the 10 th June, 1988; | 57. G.S.R. 547(E), dated the 18 th July, 2008; |
| 27. G.S.R. 734(E), dated the 24 th June, 1988; | 58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010; |
| 28. G.S.R. 606, dated the 14 th July, 1988; | 59. G.S.R. 279(E), dated the 31 st March, 2010; |
| 29. G.S.R. 812(E), dated the 26 th July, 1988; | 60. G.S.R. 256(E), dated the 27 th March, 2012; |
| 30. G.S.R. 888(E), dated the 1 st September, 1988; | 61. G.S.R. 412(E), dated the 29 th May, 2012; |
| 31. G.S.R. 907(E), dated the 7 th September, 1988; | 62. G.S.R. 368(E) dated the 07 th June, 2013; |

- | | |
|--|---|
| 63. G.S.R. 506(E) dated the 24 th July, 2013; | 69. G.S.R. 314(E) dated the 31 st March, 2017; |
| 64. G.S.R. 18 dated the 28 th January, 2014; | 70. G.S.R. 406(E) dated the 20 th April, 2017; |
| 65. G.S.R. 912(E) dated the 23 rd December, 2014; | 71. G.S.R. 439(E) dated the 2 nd May, 2017; |
| 66. G.S.R. 653(E) dated the 25 th August, 2015; | 72. G.S.R. 482(E) dated the 17 th May, 2017; |
| 67. G.S.R. 241 dated the 10 th December, 2015; | 73. G.S.R. 507(E) dated the 22 nd May, 2017; and |
| 68. G.S.R. 297(E) dated the 28 th March, 2017; | 74. G.S.R. 540(E) dated the 31 st May, 2017 |